


शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद एटा तहसील एटा में जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.00 से 20.00 कि0मी0) हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु 22.80 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग में हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।


(संजीव कुमार)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0एटा


(पी0पी0 सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0एटा


प्रतिहस्तान्तरित
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग
एटा